करवाने का अधिकारी है। प्रकरण में प्रति.क. 1 मुखराम ने प्र.पत्र प्रस्तुत किया। वादी मुखराम को सुना गया तथा प्र.पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत आपत्ति पत्र का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि वादपत्र मय विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का भी विभाजन किया जा रहा है। उक्त विवेचन के वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम रघुनाथपुरा की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 697, 698, 699 719, 1235, 1276 किता 6 कुल रकबा 5.63 है. का वादी एवं प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री पत्र जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.6.18 को कैम्प कोर्ट रघुनाथपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुं.)

Scanned by CamScanner